बिहार विधायिका सभा का वादवृत्त।

सोमवार, तिथि २८ नवम्बर, १९४९

भारत शासन विधान, १९३५ के प्रावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण।

सभा की बैठक पटने के सभा वेश्म में सोमवार, तिथि २८ नवम्बर, १९४९, को ११–३० बजे पूर्वाह्न में, माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुई।

भारत के संविधान के प्रति विनिहित निष्ठा का शपथ-ग्रहण।

माननीय प्रमुख : उपस्थित सभासदों में जिन्होंने भारत के संविधान के प्रति विनिहित निष्ठा की शपथ नहीं ली है वे शपथ लें।

निम्न सभासदों ने शपथ ली:—

(१) श्री अब्दुल हमीद मियां—(पलामू मुलसमान ग्रामीण)।

(२) श्री विश्वेश्वर प्रताप नारायण सिंह—(तिरहुत डिवीजन जमींदार)।

प्रमुख के आरम्भिक अभिभाषण।

सदस्यों का स्वागत।

माननीय प्रमुख: द्वितीय बिहार विधायिका सभा के इस सातवें अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सबका और विशेषकर उन नये सदस्यों का, जिन्होंने आज सर्व प्रथम इस सभा में अपना स्थान ग्रहण किया है, हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि भारत सरकार ने इस सभा के एक प्रमुख सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह को नेपाल में अपना राजदूत नियुक्त किया है। इस सभा के वे एक प्रभावशाली वक्ता थे और जब कभी वे बोलने के लिए खड़े होते थे उनको इस सभा के सदस्य बड़े ध्यान से सुना करते थे। इस सभा के वाद-विवाद में उनका योगदान बड़े महत्व का होता था। उनकी इस नियुक्ति पर मैं आपकी ओर से तथा अपनी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं किन्तु इस बात का मुझे अवश्य खेद रहेगा कि यह सभा अब उनकी सदस्यता से लाभ नहीं उठा सकेगी। यह भी प्रसन्नता और संतोष की बात है कि इस सभा के दूसरे प्रमुख सदस्य श्री शार्ङ्गधर सिंह पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त हुए हैं। आप एक प्रतिभासंपन्न व्यक्ति हैं और यह नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुरूप ही हुई है और इसलिए वे भी हमारी बधाई के पात्र हैं।

श्री गुरु सहाय लाल और श्री टी० एस० मैक्फरसन के निधन पर शोक प्रकाश।

माननीय प्रमुख : किन्तु आज मुझे बहुत दुःख के साथ माननीय जस्टिस सर टामस स्टुअर्ट मैकफरसन के निधन की सूचना आपको देनी पड़ती है। आप इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य थे और कुछ वर्षों तक बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य भी रहे। आप कुछ समय तक हाईकोर्ट के जज थे और फिर पटना विश्वविद्यालय के उप-कुलपति भी हुए। आपका जीवन बड़ा सफल रहा और आपकी मृत्यु से हमलोगों को बहुत दुःख है।

श्री गुरु सहाय लाल के देहावसान से इस प्रान्त ने एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता तथा एक कर्मठ व्यक्ति खो दिया है। वे एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति थे और उन्होंने प्रान्त की बड़ी सेवा की। १९२४ में ही वे बिहार और उड़ीसा लेजिसलेटिव कौंसिल के

(ग) उत्तर 'हां' में है।

(घ) उत्तर 'हां' में है।

(ङ) सन् १९४१ की जनगणना (मर्दुमशुमारी) के अनुसार किशुनगंज और आलमनगर थानों की कुल जनसंख्या (आबादी) १,५६,१५४ है।

जेल मैन्युअल के अनुसार खाना कैदियों को न मिलना।

३७। श्री देवनारायण सिंह: क्या माननीय प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि आरा सब-जेल के कैदियों को जेल मैन्युअल में दी गयी मात्रा के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि आरा जेल के असिस्टेंट जेलर और हेड वार्डर श्री राम प्रसाद तिवारी कैदियों के राशन से ही अपने भोजन का खर्च चलाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त हेड वार्डर श्री राम प्रसाद तिवारी अभियुज्यमान (अंडर ट्रायल) कैदियों से भी काम लेते हैं और उनलोगों के सम्बन्धियों से रुपये मिलने पर उनको इस कार्य से मुक्त कर देते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि अभियुज्यमान और सजा पाये कैदियों से रुपया लेने के लिये उक्त राम प्रसाद तिवारी उन्हें जूतों, घूसों और छड़ियों से निर्दयतापूर्वक पीटता है और उन्हें उचित राशन लेने में भी रोड़ा अटकाता है;

(ङ) यदि अनुखंड (क) से (घ) तक के उत्तर 'हां' में हों तो सरकार इस सिलसिले में कौन सी कार्रवाई करने का विचार करती है?

माननीय डा० श्री कृष्ण सिंह: (क) उत्तर 'न' में है।

(ख) उत्तर 'न' में है।

(ग) किसी भी अभियुज्यमान कैदी से कोई काम नहीं लिया जाता है पर उन्हें अपना कपड़ा तथा अपना वाड़ा (वार्ड) साफ रखना पड़ता है।

(घ) उत्तर 'न' में है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

परसरमां से सुपौल तक रेलवे लाइन।

३८। श्री गौरीशंकर डालमियां: क्या माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि परसरमां से सुपौल, सहरसा जिला तक रेलवे लाइन सन् १९४६ तक फेयर वेदर के रूप में चला करती थी;

(ख) क्या यह बात सही है कि सरकार और जनता की आवाज पर रेलवे ने उस लाइन को सर्वदा चालू रखने के लिये टेन्डर मांग कर काम शुरु करवा दिया था, और वर्षा नजदीक आ जाने के कारण कार्य समाप्त नहीं हुआ;

(ग) क्या यह बात सही है कि उसके बाद आज तक वहां फिर कार्य शुरु नहीं हुआ;

(घ) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी द्वारा बनी कोसी कमिटी ने भी अपने ता० २६ अक्तूबर, १९४८ के प्रस्ताव में यह सिफारिश की है कि परसरमां से चांदपी तक याने सुपौल से भी १० मील आगे तक रेलवे लाइन बनायी जाय;

(ङ) यदि अनुखंड (क), (ख), (ग) और (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसके बारे में भारत सरकार के पास सिफारिश करने का विचार करती है?

माननीय श्री अब्दुल क्यूम अन्सारी: (क) और (ख) आरम्भ में यह लाइन सभी मौसिम में चलने लायक बनी थी, परन्तु सन् १९४९ में कोसी नदी की धारा बदलने से लाइन दो जगह काफी टूट गई। सन् १९४७ में इस लाइन को फिर से सिर्फ सूखे मौसिम में चलाने का विचार किया गया, परन्तु पुल बनाने की कोशिश असफल होने के कारण इसे छोड़ दिया गया।

(ग) जी हां। रेलव वाले समझते हैं कि वहां की लाइन बनाने के लायक नहीं है और बनाने से बहुत ज्यादा खर्च पड़ेगा।

(घ) रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने परसरमां से चांदपी तक रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव पर भी जांच-पड़ताल की थी, परन्तु इंजीनियरिंग की कठिनाइयों के वजह से इसे हल नहीं कर सके।

(ङ) प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार को परसरमां से सुपौल तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सिफारिश करने का विचार कर रही है।

गोह थाना कांग्रेस कमिटी द्वारा सिंचाई की योजना पेश किया जाना।

३९। श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह: क्या माननीय मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि गोह (गया) थाना कांग्रेस कमिटी ने सिंचाई की एक योजना नक्शे के साथ एक साल पहले सरकार को पेश किया था;

(ख) यदि अनुखंड (क) उत्तर स्वीकारात्मक है तो उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने अब तक कौन सी कार्रवाई की है?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह: (क) जी हां।

(ख) ओवरसियरों की कमी के कारण इस योजना की छानबीन अब तक पूरी न हो सकी है परन्तु उम्मीद की जाती है कि जल्द ही पूरी की जा सकेगी।

अधवारा नदी को खुदवाने का विचार।

४०। ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह: क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या सरकार सीतामढ़ी सबडिवीजन अन्तर्गत अधवारा नदी को खुदवाने का विचार रखती है;

(ख) क्या यह बात सही है कि इस नदी का अन्वेषण सरकारी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष पूर्व किया गया था;